

अन्य सूचनाएँ

धारा 4 (1) (बी) (सत्रह)

१. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर परिषद द्वारा नियुक्त ताकि सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी ; इसका अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी ; अधिकारी को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी ।

२. नगर पालिका के नीतिगत विनियोगों, नगरीय विकास योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं रक्षा तथा उदानिक सुग्राह के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक नियुक्त अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दर्शाता है।

३. नगर परिषद प्रेसीडेंट इन कॉसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व उदानिक हेतु नगर परिषद कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निशुल्क वितरण कर सकेंगे ।



४. नगर परिषद के कर्त्ता से संबंधित ऐसेसमेट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जा रहा है व अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अन्तर्गत व्यवस्था सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें ।

५. नगर परिषद ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है । नागरिकों से अनुरोध है कि व अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, कर्त्ता आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप का वार्षिक अभिलेखों व फोग के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित रामय-सीमा में निराकृत हो सके ।

नुस्खा नामः नागरिकों अधिकार
नगर पालिका परिषद
सिवनी मालवा

नगर परिषद के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्तव्य

अ.क्र	विभाग	कार्य
1	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>लोक पालिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं सांचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं—</p> <p>प्रशासन—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था। 2. अधिकारियों / कर्मचारियों की उपरिथि, अवकाश कार्य विभाजन। 3. कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। 4. रिकार्ड — पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण। 5. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल परामर्शदात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृतों का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के कियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित। 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण। 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन। <p>लेखा—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जांच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना। 2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समरत भुगतानों की जांच करना व सुनिश्चित करना कि, राष्ट्रादित कार्य/क्रय या व्यावहार की सक्षम रवीकृति है। वजट प्रावधान है, रटांक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी है, व सकाग अधिकारी की रवीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना। 3. मारिक, ब्रैमासिक वार्षिक लेखाओं को तोरार करना व विनियिष्ट अधिकारियों को भेजना।


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद

 ग्रामीणी मालवा

		<p>4. गांधीजिंक आग- ध्यग अनुमान पत्रक तैयार करना।</p> <p>5. समस्त पंतीशास्त्रीयों, अमानन्दी, आणेंगों के लेखों का संधारण।</p> <p>6. ज्ञान एवं अनुदान से प्राप्त समरत राशियों को लेखाओं का संधारण।</p> <p>7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना।</p> <p>8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण।</p> <p>9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण।</p>
2	राजरव विभाग	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्कों, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया -प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना। 2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना। 3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुकों की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना। 4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना। 5. राजरव विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व रात्यापन करना। 6. नगर पालिका मार्केट, दूकानें, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु रावजनिक घोष या टेण्डर आदि की कार्रवाही। अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व राबूद्धि अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना।


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद

 मानन्दी

		<p>7. बकाया करो व शुल्को व किसागे की वसूली हेतु अधिनिगम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तापीली सुनिश्चित करना।</p> <p>8. कांजी हौसा की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मारिक, ब्रैमारिक, वार्षिक या निर्धारित सामग्रिक पत्रका में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना।</p>
3	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों का विकास व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, डेनेज व नालीयों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जन-स्वास्थ्य के लिये वैक्सीनेशन की व्यवस्था। 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का विवरण व चिकित्सीय व्यवस्था। 3. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण। 4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच। 5. नगरीय क्षेत्र की सड़कों, नालों व नालीयों की सफाई। 6. सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण। 7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन। 8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रखरखाव व बृक्षारोपण। 9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्व रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण।
4	लोक निर्माण विभाग	<p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्तव्य हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का कियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वाछित रवीकृति भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों सार्वजनिक सड़कों के खुली भूमियों से अतिकरण हटाने। 4. यिन अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
स्थिवनी मालवा

व उनके विरुद्ध विभानात्मत कार्रवाई करना ।

पाधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व कार्यों का सम्पन्न करना है -

1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था - इन्ट्रेक्यूल - फिल्टर प्लाट, रसोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण ।
2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन ।
3. पब्लिक स्टेप्ड का संधारण ।
4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना ।
5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण ।
6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रोतों, तालाबों कुओं आदि का संधारण ।

6. कौशला विभाग

इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनों व पम्पों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है ।

7. अनिशामक विभाग

कार्य एवं कर्त्तव्य

1. अनिशामक वाहनों का संधारण ।
2. आग की स्थिति अनिशामन की त्वरित व्यवस्था ।
3. आपात स्थिति में पशारान व नागरिकों की राहायता ।

8. शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग के कार्य

1. मप्र नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संग्रह) की शर्तें नियम 2005 के प्रामाण्यार शिक्षकों की नियुक्ति ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद्

स्त्री व माल्का

अध्याय - १६

संगठन की विशेषिता, कृत्य एवं कर्तव्य

नगर पालिका परिषद् निवासी मालगा गिरा शोणगांव की घटना 17 अक्टूबर 1967 के दौरान

में मुख्य नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अनुसंधान कार्य परिषद् में निहित है। परिषद् के मुख्य कर्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की घटना 123 में विवरित है। जो निम्नानुसार है -

(१) जाते निवासी पथों स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,

(२) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद् में निहित हों या न हो व्यानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना,

(३) दिल्ली तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विट्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पाट छाद बढ़ाना,

(४) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,

(५) धृणान्यादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपशमन करना,

(६) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो संदेशाभ्यास के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद् में निहित हों या राज्य सरकार ने निहित हों, याचाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,

(७) मृदकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनके उपशमन करना,

(८) भ्रमारी या अन्य अकलियत आपात-स्थिति में मृदकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो दिल्ली प्रशिक्षणी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संघर्ष में निवेश देने के लिए सरकार द्वारा अन्य प्रशिक्षणी द्वारा अप्रक्षित किए जाएं,

(९) अन्य स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्ताथाकर परिवहनों का पुनरुद्धार करना,

(१०) सार्वजनिक पथों, पुस्तियों, नगर पालिका के गोमा - चिन्हों, मणिड्यों, हाटों, वधशालाओं, शोचालयों, गढ़ायों, मृदातरों, नालियों, मल-नालियों, जल निकारा-सकरों, मलगातों से सवधित सकरों स्नानगृहों जूदाहें के स्थानों, शैन के पार्श्वों के नलों, तालाबों, कुओं, वाढ़ों तथा उसी प्रकार के अन्य सकरों का नियन्त्रण करना उनमें पर्यावरण करना और उनका अनुरक्षण करना,

(११) काँड़ों हाड़ों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहाँ पश्चु अतिवार अधिनियम 1871 का सं (१) प्रवर्तन में हो वहा उस अधिनियम की घास 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा

प्रधान नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद्

मिशनरी मालवा

१९ के अन्तर्गत राज्य सरकार और जिला मणिरद्रेट के सामर्त्य करना।

- (३) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अरवारथ्यकर होने के कारण नियाशियों तथा पर्याप्त पशुओं के खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय गा अतिरिक्त जलप्रदाय की जनतक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और इसे जल का नियंत्रकालिक रूप से सूखम परीक्षण करना।
- (४) पशु तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना।
- (५) जन्म विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना।
- (६) सार्वजनिक टीके लगाना।
- (७) किन्हीं भी ऐसे बछड़ों, गायों या भैंसों के लिए, जो पशु टीके (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नागरपालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त रथान की व्यवस्था करना।
- (८) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना।
- (९) ऐसे उपाय करना जो संकामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों।
- (१०) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें।
- (११) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी विधि में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों।
- (१२) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना।
- (१३) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा १२४ के खण्ड (क) से उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

धारा १२४ (क) से (फ)

- (क) अरवारथ्यकर परिषेत्रों का पुनरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नहीं - नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसी मार्गों से राष्ट्रीय भवन के लिए भू-खण्ड रामिलित होंगे।
- (ख) सार्वजनिक पार्क, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थालों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापन करना या उनका अनुरक्षण करना,

मुख्य नगर/पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद

{ सिवनी मालवा

अध्याय - दो

प्राविकरण के विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों के लागत व शक्तियाँ
प्राप्ति करना एवं विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों के लागत व शक्तियाँ

५११

क्रमांक नंगर पालिका	शक्ति	प्राप्ति	क्रमांक नंगर पालिका	शक्ति	प्राप्ति
१	१	१	१	१	१
२	२	२	२	२	२
३	३	३	३	३	३
४	४	४	४	४	४
५	५	५	५	५	५
६	६	६	६	६	६
७	७	७	७	७	७
८	८	८	८	८	८
९	९	९	९	९	९
१०	१०	१०	१०	१०	१०
११	११	११	११	११	११
१२	१२	१२	१२	१२	१२
१३	१३	१३	१३	१३	१३
२	१	१	१	१	१
कार्यस्थल	कार्यस्थल	कार्यस्थल	कार्यस्थल	कार्यस्थल	कार्यस्थल

जुध्य नगर शालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
प्रिवेट मालिका

		500/- रु अनाधिक वार्तिक भाड़ा मूल्य एवं प्रियेयम को रथान / संपत्ति को भाड़े पर की स्वीकृति वित्तीय शर्तीयाँ नगर पालिका की दशा में रु 5/- लाख रु अधिक 20 लाख तक उ. नगर परिषद की दशा में रु 2 लाख रु 10 लाख तक।	धारा 109 व गवर्नर बिल्ड अंतर्गत रथान / संपत्ति का अंतरण। वित्तीय विधिकारी की नीति तक निर्माण कार्यों / योग्यता की स्वीकृति।
	4	अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1)(2), 121 (1), 126, 160, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253 (1) (3) 255 (1), 261, 262 (1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 व अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ।	कालम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही।
3	अध्यक्ष	1 परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम, 2 अधिनियम की धारा 183 (5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ।	1 परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन। 2 परिषद की 184, 185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी।
		3 आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति। 4 परिषद / प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त अधिकारों अन्तर्गत शक्तियाँ व कार्य।	3 कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहीयों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण। 4
4	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड। 2 सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना। 3 कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण।	1 नगर पालिका के समस्त कार्यपालिक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी। 2 नगर पालिका को और से पत्राचार। 3 परिषद द्वारा लिये गये नियमों का अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार पालन।
		4 करों व भाड़े की वसूली हेतु वित्तीय वित्त मांग सूचना पत्र, वारट जारी करने की शक्ति।	4 अधिनियम की धारा 180 (1) (2), 185, 187-९, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिवनी मालवा

		(2) 204, 208, 213, 215, 216 217, 220, 221, 222, 223, 224 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250 251, 252 एवं 285
5	वित्तीय शक्तियाँ क. नगर पालिका की दशा में रु. 1 लाख तक। ख. नगर परिषद की दशा में रु. 50 हजार तक।	5
6	अन्य शक्तियाँ जो परिषद/प्रेसीडेन्ट इन काउसलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावे।	6
7	राष्ट्रीय गंदी बरती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थीकृति	7

13 नं. पालिका अधिकार
नगर पालिका परिषद
प्रिलिये मान्दा

अध्याय - चार

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान का अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय रीमा निर्धारित की गई -

सीटीजन चार्टर

ख. कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य (Quantity Target)

1	करों की वसूली के लिये	वित्तीय वर्ष की शत - प्रतिशत
2	योजना कार्यों के लिये	अंकित समय रीमा
3	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	शत - प्रतिशत

ख. नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिवनी मालवा

अध्याय - पाँच

नगर परिषद के कृत्यों का निवेदन करने के लिये उसके द्वारा घारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों / कर्मकारों / नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गए, नियमों विनियमों अनुदेशों

पै.यु.आर.सी और अभिलेख

अधिनियम

1 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,

2 अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,

3 म.प्र. मूलभूत नियम,

4 म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971,

5 म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966,

6 म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955,

7 म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965,

8 म.प्र. भूमि विकास नियम,

9. केटल ट्रेसपास एकट,

10 नगर परिषद द्वारा बनाई गई उपविधियाँ,

11 परिपत्र -

1 म.प्र. सामान्य प्रशासन मुख्यकार्य परिपत्र,

2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा

समय - समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश,

गुरुग्राम नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सिविल सेवा मास्टर

अध्याय-४:

उत्तराधिकारी — ६ (६६)

नगर पालिकारी द्वारा प्रारंभ गए उत्तराधिकारी के अधीन उत्तराधिकारी के शेषियों का निकलण

12.

क्रमांक	उत्तराधिकारी का नाम	उत्तराधिकारी का स्थान	सामाजिक जानकारी	उत्तराधिकारी की सामय रीपा
१	२. कार्यवृत्त पुरिस्तका	३. रजिस्टर	४. वैठक कार्यवृत्त	५. विमत १५ वर्ष
२	(a) पारेष्ट (b) स्थायी समिति/प्रैसीडेन्ट इन कौसिल	पंजी पंजी	प्रतिरोदन कथ की मई सामग्री का विवरण न. पा. की अचल संपत्ति	विमत ५ वर्ष
३	वार्षिक प्रतिरोदन	रजिस्टर	कर्मचारियों के गविष्य निधि की जानकारी	विमत ५ वर्ष
४	रहाक तथा भलार पंजीया	रजिस्टर	जग मृत्यु/विवाह राजकीय जानकारी कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	विमत ५ वर्ष
५	अचल स्पष्टि की पंजी	रजिस्टर	जग मृत्यु/विवाह राजकीय जानकारी कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	विमत ५ वर्ष
६	स्थायी निधि अग्रिमता	रजिस्टर	जग मृत्यु/विवाह राजकीय जानकारी कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	विमत ५ वर्ष
७	कम से कम तथा प्रियाली की पंजी इतन विजे	वैठन पत्रक	जग मृत्यु/विवाह राजकीय जानकारी कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	०५ वर्ष
८	रोकड़ीया रोकड़	रोकड़ीया रोकड़	जग मृत्यु की जानकारी	०५ वर्ष
९	छटाई तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छटाई/प्रतिनियुक्ति अग्रिम की जानकारी	
१०	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	
११	नगर पालिका रोकड़	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	
१२	द्वायाया की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	
१३	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	
१४	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	
१५	अववाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संक्षेप जानकारी	
१६	समायोजन पंजी	रजिस्टर	राजायोजन की जानकारी	०५ वर्ष
१७	अग्रान्त व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रान्त व अग्रिम की जानकारी	
१८	प्रतिनियुक्ति पंजी	रजिस्टर	प्रतिनियुक्ति की जानकारी	०५ वर्ष
१९	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त जगणी की जानकारी	
२०	स्थान तथा स्थापना की व रसीद कुर्स	रजिस्टर	कर संपर्कण की जानकारी	
२१	समायोजन पंजी	रजिस्टर	स्थायी कारोबार लाइसेंस की जानकारी	०५ वर्ष
२२	कम से कम तथा प्रियाली की अग्रिमता	रजिस्टर व पंजी	कम से कम तथा प्रियाली की जानकारी	
२३				

अध्याय-सात

		- 18 -		
		ਪੰਜੀ		
24	ਟੈਲਾਨ ਪਰੀਕਣਾਂ ਇੱਧਾਣੀ	ਫਾਗ ਵ ਬੁਕ	ਪਰੀਕਣ ਟੀਪ ਵ ਪੜ ਘਰਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਵ ਜਮਾ ਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ	4 ਵਰ্ষ
25	ਚਾਲੀਨ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿਲ ਵ ਰਸੀਦ ਬੁਕੇ ਦ ਲੇਖਾ ਨਿਮਾਣ ਕੇ ਅਨ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਰਣ	ਫਾਗ, ਵਿਲ ਬੁਕ	ਨਿਮਾਣ ਕਾਈ ਰਾਂਕਣੀ ਜਾਨਕਾਰੀ	— " —
26	ਨਿਮਾਣ ਕਾਈਂ ਕੇ ਵਿਲ/ਪ੍ਰਗਾਣ ਪੜ ਮਾਫ ਪੁਰਿਤਕਾ	ਪ੍ਰਪੜ	ਮਹਾਂਦੂਰੀ ਗੁਗਤਾਨ ਬਜਟ	4 ਵਰ্ষ
27	ਸਸ਼ਟਰ ਰੋਜ਼	ਪ੍ਰਪੜ	— " —	4 ਵਰ्ष
28	ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਨ	ਨਸ਼ੀ	ਸਾਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ	ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਨਿਧਾਰਿਤ ਅਵਧਿ
29	ਆਈਟਨ ਪੜ/ਪੜਾਚਾਰ			

ਸੁਲਖ ਨਗਰ ਪਾਲਕ ਕਮਿਤੀ
 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਵਦ
 ਸਿਰਵਾਨੀ ਸਾਜ਼ਦਾ